

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

कमांक प0 6(24)राज-6/01/20

जयपुर दिनांक 18-09-2013

:-अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों को समय-समय पर जिन अधिसूचनाओं से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, उन अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, अनुसूची में वर्णित भूमियों को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:

:-अनुसूची:-

क्र० सं०	नाम ग्राम	क्र० सं०	खसरा न०	रकबा (बीघो में)	किस्म भूमि
1	साभरा	1	164 / 51	119.15	गै० मु० खार
		2	166 / 51		
		3	169 / 51		
		4	171 / 51		
		5	50	11.03	गै०मु० मैदान
		6	27	51.13	गै० मु० खार
		7	29	43.18	गै० मु० खान
			योग		226.09

क्र० सं०	नाम ग्राम	क्र० सं०	खसरा न०	रकबा (बीघो में)	किस्म भूमि
2	साभरा	1	27	21.09	गै० मु० खार
		2	29	26.18	गै० मु० खान
		3	164 / 51	79.06	गै० मु० खार
		4	166 / 51		
		5	169 / 51		
		6	171 / 51		
		7	157 / 30	44.00	गै० मु० खान
		8	159 / 30		
		9	161 / 30		
		10	163 / 30		
			कुल योग		171.13
	महायोग		398.02		

राज्य पाल की आज्ञा से,

(जे०पी० बुनकर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वि० सहायक, मा० उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव उद्योग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर बाडमेर।
9. निबंधक, राजस्व गण्डल, अजमेर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 18-09-2013 में प्रकाशनार्थ।
12. राविरा राजस्व गण्डल राज० अजमेर।
13. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली।
14. उप निबंधक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व गण्डल अजमेर।
15. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर।
16. समस्त उप शासन सचिव राजस्व विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव